न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी सिकराय

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार त्यागी
(आर0 ए0 एस0)

वाद पत्र संख्या :– 26 / 2011

2. मथुरया पुत्र घीस्या जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

13. रेवड पुत्र बसन्ता
14. राजाराम पुत्र बसन्ता
15. मुन्नालाल पुत्र बसन्ता
16. हरजी पुत्र बसन्ता
17. हंसराम पुत्र बसन्ता
18. सीताराम पुत्र बसन्ता
19. मूली पत्नीं बसन्ता

समस्त जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की और से :– श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की और से :– श्री राकेश जैंमन अधिवक्ता

रेवड वगैरहा बनाम मुथरया वगैरहा

वाद पत्र संख्या :– 142 / 2011

8. रेवड पुत्र बसन्ता
9. राजाराम पुत्र बसन्ता
10. मुन्नालाल पुत्र बसन्ता
11. हरजी पुत्र बसन्ता
12. हंसराम पुत्र बसन्ता
13. सीताराम पुत्र बसन्ता
14. मूली पत्नीं बसन्ता

समस्त जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

बनाम

8. मुथरया पुत्र घीस्या
9. रामकिशन पुत्र नारायण
10. रामलाल पुत्र जौहरी
11. मुरलीधर पुत्र जौहरी
12. फैलीराम पुत्र जौहरी
13. रत्तीराम पुत्र जौहरी

समस्त जाति मीना निवासी गढोरा तह सिकराय जिला दौसा

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सिकराय

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज , उद्‌घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

वादीगण की और से :– श्री राकेश जैंमन अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 की और से :–. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की और से :– कोई नहीं (एक पक्षीय)

दिनांक 21–02–2018

निर्णय

वादी की और से वाद पत्र मुकदमा नं. 26/11 बउनवानी प्रकरण बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 07.03.2011 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमीं खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित है उक्त भूमीं पर मौके पर काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है

उक्त वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमीं से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन लाठी के बल पर वादी की उक्त भूमीं को हडपना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है दिनांक 25/02/2011 को प्रतिवादीगण नें वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमीं खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये लगभग 07 बिस्वा रकबे पर जबरन कब्जा करके व आठ गह पाटोल लगा ली व अपनें पशुओं को बॉध दिया वादी को मालूम पडनें पर वादी नें उनसे कहा कि तुमनें मेरी जमींन पर कब्जा करके पाटोल क्यों बनायी है तो वे झगडा करनें पर आमादा हो गये वादी नें उन्हे काफी समझाया किन्तु वे नही मानें तथा अपना कब्जा हटानें से मना कर दिया और धमकी दी कि यदि कोई कार्यवाही की तो संपूर्ण भूमीं पर से तुम्हे बेदखल करेगें और जबरन कब्जा करेंगें व हमारे द्वारा कब्जा की गयी भूमीं पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य करेगें मिट्‌टी भर कर लेविल करेगें करना हो सो कर लेना बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम

वादी नें अपनें वाद पत्र में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय का अनुतोष चाहा है कि वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमीं खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये 07 बिस्वा रकबे पर कब्ज करके प्रतिवादीगण नें जो पाटोल बना ली है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित फरमायी जावे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमानें की कृपा करें कि वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमीं खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के कब्जे वादी में प्रतिवादीगण स्वयं, ऐजेन्टो, नौकरों, रिश्तेदारों से कोई दखल नहीं पहुँचाये एवं उक्त भूमीं से जबरन वादी को बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमीं के किसी भाग पर कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावे।

तथा मुकदमा नं. 142/11 मे वर्णित वादीगण की ओर से एक वाद पत्र उक्त आराज़ी के संबंध मे ही बाबत् उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी प्रकरण रेवड बनाम मुथरया का इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा तथा खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भुमि गढोरा तह सिकराय मे स्थित है । तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 2 लगा 6 ने भुमि खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा पर 3 गह दुपल्ला पाटोल पुख्ता बना रखी है तथा पुख्ता रसोई बना रखी है तथा 5 – 6 पेड पीपल व नीम के पेड तैयार कर रखे है इस प्रकार सम्पुर्ण 9 बिस्वा भुमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा 6 सैकडो वर्षो से बज़माने बुजुर्गान के समय से रिहायश करते चले आ रहे है तथा आज दिन भी उसी भुमि पर रहे है तथा भुमि खसरा नं. 507 के लगते हुये खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे से 1/4 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगा 6 3 गह दुपल्ला पाटोल पुख्ता बनाकर सैकडो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान के समय से आबादी बनाकर रिहायश कर मौके पर रहे रहे है निवास कर रहे है जानवर प्शु भी इसी भुमि मेब ंधते है चारो रेवडा भी इसी भुमि मे डालते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भुमि से कोई लेना देना भी नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भुमि मे कोई कब्जा आज दिन भी नही है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा 6 के पिता बसन्ता नारायण जौहरी पुसरान महवा खास भाई है । उक्त भुमि मे राजस्व कर्मचारीयो से सैटलमैन्ट विभाग से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के बुजुर्गो ने उक्त भुमि अपने नाम अवैध रुप से दर्ज करवा ली इस प्रकार उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के बुजुर्गो व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जो इन्द्राज हो रहा है वह इन्द्राज प्रारम्भ से ही वादीगण के खिलाफ क्लेअदम् बेअसर प्रभावहीन व कानुनन शुन्य है । ऐसे इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानुनी हक अधिकार नही हो सकते है । उक्त विवादित भुमि पर 12 साल से अधिक समय से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगा 6 बदस्तुर काबिज चले आ रहे है । वर्तमान मे भी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा 6 उक्त भुमि पर काबितज है इस प्रकार देरीना कब्जे के आधार पर भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगा 6 उक्त भुमि के कानुनन खातेदार हो चुके है । व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार समाप्त हो चुके है । उक्त वादीगण को काननन हक प्राप्त है कि उक्त विवादित भूमि खसरा नं. 498 रकबा 1

बीघा 16 बिस्वा के 1/4 हिस्से पर व भुमि खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा सम्पुर्ण पर वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण को घोषित करवावे व 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 को घोषिंत करवावे तथा 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा 6 को घोषित करवावे तथा खसरा नं. 498 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 3/4 दर्ज करवा कर शेष हिस्सा 1/4 मे वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण को घोषित करवावे व 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित करवावे तथा 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा 6 को घोषित करवावे इसी कदर राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्ती करवावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त भुमि को वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व रिहायश मे किसी भी प्रकार की बाधा व हस्तक्षेप उत्पन्न नही करे प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 15.11.2011 को वादीगण को ऐलानिया कहा कि तुम्हारे कब्जे व रिहायश की भुमि मेरे नाम दर्ज है अब मै तुम्हे बेदखल करूगा तुम्हे जो करना है सो करो तो उत्पन्न होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है । तथा वादीगण ने अपने उक्त वाद पत्र मे डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान करने का निवेदन किया कि डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज व उद्घोषणा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के खिलाफ इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 मे वर्णित भुमि खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा सम्पुर्ण पर वादीगण को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 लगा 6 को 1/3 हिस्से का खातेंदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाया जावे। तथा खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 1 को 3/4 हिस्से का खातेदार दर्ज करवा कर 1/4 हिस्से मे 1/3 हिस्सा वादीगण को , प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 लगा 6 को 1/3 हिस्से का खातेंदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे इसी कदर राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्ती कर राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद करने का तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को वादीगण के भुमि के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने से पाबन्द फरमाने की डिक्री करने का निवेदन किया गया ।

इत्यादि पर वादी का वाद पत्र मुकदमा नं. 26/2011 दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 की ओर से श्री राकेश जैमन अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण की और से वादीगण के उक्त वाद पत्र को अस्वीकार करते हुये चरणवार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते तनक़ीयात कायम की गई ततपश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई इसी दरमियान प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2012 को बाबत् उक्त प्रकरण की सुनवाई बउनवानी प्रकरण रेवड बनाम मुथरया मुकदमा नं. 142/11 के साथ साथ करने का प्रस्तुत किया । जिसको न्यायालय के द्वारा दिनांक 9.10.2013 को स्वीकार कर दोनो पत्रावली रेवड बनाम मुथरया मुकदमा नं. 142/11 व मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नं. 26/11को हम किता की गई इस प्रकार उक्त दोनो पत्रावलीयो को हम किता किये जाने के कारण उक्त दोनो पत्रावलीयो मे विवादित आराजी एक ही होने के कारण उक्त दोनो पत्रावलीयो की सुनवाई एक साथ की

गई। इस प्रकार उक्त दोनो वाद पत्रो ने पक्षकारान के द्वारा परस्पर जवाब दावे प्रस्तुत किये गये जिनको शामिल पत्रावली किया गया ।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों का विचारण एक साथ किया जाकर उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर दिनांक 30.10.2013 को न्यायालय के द्वारा निम्न तनकीयात विवेचित की गई ।

तनकी नं. 1 :– आया वादी विवादित भुमि से प्रतिवादीगण को बेंदखल करवाने का अधिकारी है ।

वादी

तनकी नं. 2 :– आया प्रतिवादीगण व मुली व जौहरी नारायण के वारिशान उक्त भुमि पर अरसा दराज से सैकडो वर्षो से काबिज होकर रिहायश करते चले आ रहे है व कानुनन उक्त भुमि पर प्रतिवादीगण रेवड को खातेदारी की घोषणा प्रतिवादीगण वगैरा अपने नाम करवाने के अधिकारी है एंव उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ करवा कर प्रतिवादीगण अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रतिवादीगण का दावा रेवड बनाम मुथरया डिक्री किये जाने योग्य है ।

प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3 :– प्रतिवादीगण को कानुनन उक्त भुमि से बेदखल नही करवा सकता ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 4 आया बसन्ता की वारिश मूली को को दावे मे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी चलने योंग्य नही है ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 5 आया विवादित भुमि पर प्रतिवादीगण मुली व जौहरी व नारायण के वारिशान के पुख्ता मकानात पाटोल रिहायश आदि सैकडो वर्षो से है कानुनन मौके पर आबादी होने से उक्त विवाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही इसलिए दावा चलने योग्य नही है ।

प्रतिवादीगण

ततपश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई जिसमे मुकदमा नं. 26/11 मुथरया बनाम रेवड मे वादी की ओर से बतौर साक्ष्य के रुप मे पी0 डब्लू0 –1 स्वयं वादी मुथरया तथा साक्षी पी0 डब्लू –2 प्रहलाद पुत्र जनसीराम ,पी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र श्रीया के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये । तथा वादी की ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने के कारण साक्ष्य वादी बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई तथा प्रतिवादी की ओर से बतौर साक्षी के रुप मे डी डब्लु 1 राजाराम पुत्र बसन्ता , साक्षी डी डब्लु 2 रामकिशन पुत्र नारायण , साक्षी डी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र मंगुराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा विद्वान अधिवक्ताओ के द्वारा साक्षीयो से जिरह की गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई ।

उपरोक्त उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहश का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओ ने बहश के दौरान अपने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचनों का ही दोहरान किया गया तथा अपनें अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश की दोनों

प्रकरण एक ही
निस्तारण भी एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

तनकी नं. 1 :– आया वादी विवादित भुमि से प्रतिवादीगण को बेंदखल करवाने का अधिकारी है।

वादी

उक्त तनकी को साबित करनें का भार स्वयं मुथरया वादी पर है वादी के विद्वान अधिवक्ता नें वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता का बहश के दौरान कथन रहा है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमीं खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित है तथा उक्त भूमीं पर मौके पर वादी काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त भूमीं से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन लाठी के बल पर वादी की उक्त भूमीं को हडपना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है दिनांक 25/02/2011 को प्रतिवादीगण नें वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमीं खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये लगभग 07 बिस्वा रकबे पर जबरन कब्जा करके व आठ गह पाटोल लगा ली तथा प्रतिवादी की और से उक्त वाद पत्र में किसी प्रकार का कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया है और न हीं प्रतिवादीगण की और से अपनें अपनें जवाब दावे के समर्थन में स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया है अपितु प्रतिवादीगण नें भी अपनें जवाब दावे में उक्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना स्वीकार किया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करनें की आवश्यकता नहीं होती है तथा वादी नें अपनें गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर साक्षीयों को परीक्षित करवाया है तथा वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी को भी प्रदर्शित करवाया है जिसमें भी वादी का नाम दर्ज है इस प्रकार प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जावे प्रतिवादीगण नें जबरन लाठी के बल पर वादी की उक्त आराजी पर कब्जा किया है जो अतिक्रमी है जो किसी प्रकार से उक्त आराजी में उद्घोषणा प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का वाद पत्र मुकदमा नंबर 26/11 सादर डिक्री फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत वाद पत्र रेवड बनाम मुथरया मुकदमा नंबर 142/11 खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता नें अपनीं बहश में वादी के उक्त वाद पत्र का घोर विरोध किया तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उक्त दौरानें बहश कथन रहा है कि आराजी खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा तथा खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भुमि गढोरा तह सिकराय मे स्थित है । तथा उक्त आराजी में बसन्ता नारायण जौहरी पिसरान महवा खास भाई है तथा उन्हीं का कब्जा चला आ रहा था तथा उक्त आराजी पर रामकिशन पुत्र नारायण रामलाल, मुरलीधर, फैलीराम, रत्तिराम, पिसरान जौहरी तथा प्रतिवादीगण बसन्ता के वारिशान का सैकडों वर्षो से बदंस्तुर कब्जा चला आ रहा है भुमि खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा पर 3 गह दुपल्ला पाटोल पुख्ता बना रखी है तथा पुख्ता रसोई बना रखी है तथा 5 – 6 पेड पीपल व नीम के पेड तैयार कर रखे है इस प्रकार सम्पुर्ण 9 बिस्वा भुमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा 6 सैकडो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान के समय से रिहायश करते चले आ रहे है तथा आज दिन भी उसी भुमि पर रहे है तथा भुमि

खसरा नं. 507 के लगते हुये खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा ने से 1/4 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगा 6 के द्वारा 3 गह दुपल्ला पाटोल पुख्ता बनाकर सैकडो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान के समय से आबादी बनाकर रिहायंश कर मौके पर रहे रहे है तथा प्रतिवादीगण नें जो साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किये है उन्हानें भी प्रतिवादीगण के जवाब दावे का समर्थन किया है तथा वादी का वाद पत्र मियाद बाहर है इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किये जानें का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण की और से एक दावा बउनवानीं रेवड बनाम मथुरया मुकदमा नंबर 142/11 का भी प्रस्तुत किया है जिसमें देरीना कब्जे के आधार पर उक्त आराजी पर उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पृथक से पेश किया गया है इंसलिए वादी का उक्त वाद पत्र मुकदमा नंबर 26/2011 खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत दावा बउनवानीं रेवड बनाम मुथरया मुकदमा नंबर 142/11 को सादर डिक्री किया जावे।

दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की बहश का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया अब न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामनें आता है कि क्या वादी की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण बसन्ता जौहरी व नारायण के वारिशान नें जबरन कब्जा किया है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामनें आता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है तथा वादी के द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिवादीगण नें अपनें वाद पत्र मुकदमा नंबर 142/11 के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें वादी मुथरया का नाम अंकित है प्रतिवादीगण का किसी भी दस्तावेज में अंकन नहीं है तथा वादी नें अपनें वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्षी के रुप में पी0 डब्लू0 –1 स्वयं वादी मुथरया तथा साक्षी पी0 डब्लू –2 प्रहलाद पुत्र जनसीराम, पी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र श्रीया के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है तथा प्रतिवादी की ओर से बतौर साक्षी के रुप मे डी डब्लु 1 राजाराम पुत्र बसन्ता , साक्षी डी डब्लु 2 रामकिशन पुत्र नारायणं , साक्षी डी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र मंगुराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन्होनें भी वादी के वाद पत्र में प्रस्तुत अभिवचनों की पुष्टि की है तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा करनें का कथन किया है तथा प्रतिवादी की और से प्रस्तुत साक्ष्य से प्रतिवादी का कब्जा होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण की और से मात्र यह कथन किया गया है कि उनका बजानें बुजुर्गान के समय से ही कब्जा काश्त है परन्तु उसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतिवादीगण का कही भी पुराना कब्जा होना साबित हो मात्र वाद पत्र में पुराना कब्जा होनें के अभिवचन करनें मात्र से ही खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा जमाबंदी के अवलोकन से जमाबंदी में वादी मुथरया का नाम अंकित है प्रतिवादीगण नें उक्त आराजी पर बजमानें बुजुर्गान के समय से ही कब्जा होने का कथन अंकित किया है तो प्रतिवादीगण नें अब से पूर्व दावा प्रस्तुत क्यों नहीं किया अपितु वादी में दिनांक 7/03/2011 को मुकदमा नंबर 26/11 मुथरया बनाम रेवड बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसके बाद प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23/11/2011 का वादपत्र मुकदमा नंबर 142/11 रेवड बनाम मुथरया प्रस्तुत किया है अर्थात वादी के उक्त वाद पत्र पेश करनें के भी करीब 8 माह बाद उक्त वाद पत्र पेश किया है जिसमें भी प्रतिवादीगण नें अपना कब्जा होनें का कथन अंकित किया है जिससे वादी मुथरया के दावे को बल मिलता है तथा उक्त दोनों पत्रावलीयों के अभिवचनों एवं साक्ष्य का समग्र विवेचन करनें से उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध

प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करवाने का अधिकारी है तथा वादी उक्त तनकी नंबर 1 को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा है इसलिए तनकी नंबर 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 :– आया प्रतिवादीगण व मुली व जौहरी नारायण के वारिशान उक्त भुमि पर अरसा दराज से सैकडो वर्षो से काबिज होकर रिहायश करते चले आ रहे है व कानुनन उक्त भुमि पर प्रतिवादीगण रेवड को खातेदारी की घोषणा प्रतिवादीगण वगैरा अपने नाम करवाने के अधिकारी है एंव उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ करवा कर प्रतिवादीगण अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रतिवादीगण का दावा रेवड बनाम मुथरया डिक्री किये जाने योग्य है ।

प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3 :– प्रतिवादीगण को कानुनन उक्त भुमि से बेदखल नही करवा सकता ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 4 आया बसन्ता की वारिश मूली को को दावे मे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी चलने योग्य नही है ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 5 आया विवादित भुमि पर प्रतिवादीगण मुली व जौहरी व नारायण के वारिशान के पुख्ता मकानात पाटोल रिहायश आदि सैकडो वर्षो से है कानुनन मौके पर आबादी होने से उक्त विवाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही इसलिए दावा चलने योग्य नही है ।

प्रतिवादीगण

उक्त तनकी नंबर 2, 3, 4, 5 को साबित करनें का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का दोरानें बहश कथन रहा है कि खसरा नंबर 507 रकबा सम्पुर्ण 9 बिस्वा भुमि पर मुकदमा नंबर 142/11 के पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा 6 का सैकडो वर्षो से बजमाने बुजुर्गान के समय से रिहायश करते चले आ रहे है तथा खसरा नं. 507 रकबा 9 बिस्वा सम्पुर्ण पर वादीगण को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 लगा 6 को 1/3 हिस्से का खातेंदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाया जावे। तथा खसरा नं. 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 1 को 3/4 हिस्से का खातेदार दर्ज करवा कर 1/4 हिस्से मे 1/3 हिस्सा वादीगण को , प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 लगा 6 को 1/3 हिस्से का खातेंदार काबिज काश्तकार घोषित करने का निवेदन कर वाद पत्र संख्या 142/11 रेवड बनाम मथुरया को स्वीकार करनें तथा मुकदमा नंबर 26/11 मुथरया बनाम रेवड को खारिज करनें का निवेदन किया जिसका प्रतिवादी संख्या 1 वादी मथुरया के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनीं बहश में घोर विरोध किया तथा वाद पत्र संख्या 142/11 रेवड बनाम मथुरया को अस्वीकार कर खारिज करनें तथा मुकदमा नंबर 26/11 मुथरया बनाम रेवड को स्वीकार करनें का निवेदन किया बहश का मनन किया

हालांकि यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि तनकी नंबर 1 मुथरया के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है तथा अन्य तनकीयातों का ज्यादा विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है हॉलाकि वाद पत्र संख्या 142/11 में वर्णित पक्षकार वादीगण का उक्त भूमीं पर अवैध कब्जा है और वे अतिक्रमीं है और अतिक्रमीं न्यायालय से किसी प्रकार का संरक्षण कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता और न हीं न्यायालय के द्वारा अतिक्रमींयों के हक में खातेदारी की उद्घोषणा की जा सकती है वाद पत्र संख्या 142/11 में वर्णित पक्षकार वादीगण का तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 06 का उक्त भूमीं से किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण के वादीगण तनकी संख्या 2, 3, 4, 5, को साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे है इसलिए उक्त तनकी वाद पत्र संख्या 142/11 में वर्णित पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के विरुद्ध तय की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 26/11 अपनें वाद पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा है न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि मुथरया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 26/11 दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र एवं वादपत्र में चाहे गये अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किये जानें योग्य है तथा मुकदमा नंबर 142/11 रेवड बनाम मुथरया दावा बाबत उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र एवं वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

अनुतोषः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुथरया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 26/11 वाद पत्र तथा वादपत्र में चाहे गये अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किये जानें योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 507 रकबा 09 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा लगभग 07 बिस्वा रकबे पर प्रतिवादीगण रेवड, राजाराम मुन्नालाल, हरजी, हंसराम, सीताराम पुत्रान बसन्ता मूली पत्नीं बसन्ता समस्त जाति मींना निवासी गढोरा द्वारा किये गये अवैध कब्जा कर आठ गह पाटोल डाली है उनको हटायी जावे तथा उनको उक्त खसरा नंबरान से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे डिक्री उक्त निर्णय का भाग रहेगी खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपनां अपना वहन करेगें।

अशोक कुमार त्यागी
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

निर्णय आज दिनांक 21-02-2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया तथा मेंरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

अशोक कुमार त्यागी
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

डिक्री मुकद्दमा अंतिम

(ओ. 20 रूलस 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिकराय

व अलजाम श्री अशोक कुमार [illegible] RAS

1- मथुरा पुत्र धोलिया जाति मीणा निवासी गोठड़ा तह सिकराय वादी बनाम 1- रेवड़ [illegible]

दावा बाबत बेदखली [illegible] 2- [illegible] जाति मीणा नि. गोठड़ा [illegible]

मुकद्दमा नं. 26/11 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विनोद मिश्रा एड० वादी

व हाजरी श्री राकेश जैन एड० [illegible] मिनजामिन मुददई रूबरू.

मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतः [illegible] स्वीकार कर [illegible] जाता है कि [illegible] ग्राम गोठड़ा तह सिकराय में स्थित खसरा 507 रकबा 9 बीघा, खसरा [illegible] रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा [illegible] 7 बिस्वा पर [illegible] रेवड़, [illegible], हरजी, देवराम, शिवराम [illegible] [illegible] गोठड़ा [illegible] कब्जा [illegible] है [illegible]

निजी मुबलिक. बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे का सुद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख

वसूलियावि तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त मुहर अदालत के आज तारीख 27-2-18 सन् को जारी किया गया।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदद यलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए